प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–बे0शि0प0/ 8412-8496 **/2024–25, दिनांक–** 12-8-2024

विषयः–शैक्षिक सत्र 2024–25 में अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद कार्यालय के पत्र संख्या–बे0शि0प0/7732–7835 /2024–25, दिनांक 31.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–68–5099/138/2023–अनुभाग–5 (बेसिक शिक्षा)–बेसिक शिक्षा विभाग, I/677436/2024, दिनांक 26.06.2024 के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2024–25 में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन की कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये थे।

(2)– याचिका संख्या–10686/2024 गोविन्द कुमार कौशिक व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2024 के अनुपालन में परिषद कार्यालय के पत्र संख्या–बे0शि0प0/7508–7602/2024–25, दिनांक 29.07.2024 द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मानव सम्पदा पोर्टल के निर्धारित प्रारुप पर दिनांक 30.06.2024 की छात्र संख्या दिनांक 30.07.2024 को सायं 05 बजे तक ऑनलाइन अद्यतन किये जाने के निर्देश दिये गये थे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर किये गये ऑनलाइन डाटा अपडेशन के उपरान्त डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को उपलब्ध कराते हुए परिषद कार्यालय के पत्र संख्या–बे0शि0प0/7732–7835 /2024–25, दिनांक 31.07.2024 द्वारा 30.06.2024 की छात्र संख्या के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु समय–सारिणी जारी की गयी थी।

(3)– प्रकरण में योजित याचिका संख्या–9970/2024 नीरजा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 02.08.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किये गयेः–

3. In such circumstances, on query made, we were further given to understand that the whole exercise would require to close within six weeks' time. The same was indicated in the above noted order. In this writ petition, raising similar challenge, learned counsel for the appellants has brought on record copy of the communication dated 31.07.2024 issued by the Secretary, Basic Education Board, U.P., Prayagraj. That indicates very short timlines provided for determination of posts and identification of teachers who may be surplus may therefore adjusted.

4. Prima facie, it does appear that entire exercise may be conducted in a hurried manner. Before we may pass any further order, Shri Arimardan Singh Rajpoot, learned Additional Chief Standing Counsel and Ms. Archana Singh, learned Counsel for the Board pray for time to obtain written instructions.

5. In view of the facts noted above, written instructions alone may not be sufficient. Let personal affidavits of the Secretary, Basic Education Board, U.P., Prayagraj and the Additional Chief Secretary, U.P. Basic Education to ensure the exact manner in which the determination of surplus post of teachers, identification of surplus teachers and adjustment at different schools is proposed to be made as may assure the Court that the whole exercise is being done in a transparent manner.

6. Put up as fresh on 08.08.2024.

7. It has further been assured that no transfer order may be passed till the next date of listing.

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन में प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा व सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा व्यक्तिगत शपथपत्र (Personal Affidavit) दाखिल कराया गया, जिसके कम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद में पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 द्वारा अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन की प्रकिया को जारी रखने के आदेश पारित किये गये है।

(4)– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–9970/2024 नीरजा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुपालन तथा शासनादेश दिनांक 01.08.2024 व शाासनादेश दिनांक 26.06.2024 के प्रस्तर–17 में निहित प्राविधानानुसार अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन की समस्त कार्यवाही निम्न समय सारिणी के अनुसार की जायेगीः–

कमांक	समायोजन की प्रकिया एवं चरण	समयावधि
1	2	3
1	अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन तथा अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवावधि के आधार पर क्रमानुसार (कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका) चिन्हित किया जाना तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की गणना किया जाना	13.08.2024 से 14.08.2024 तक
2	आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरान्त डाटा अन्तिम रुप से लॉक किया जाना।	16.08.2024 से 17.08.2024 तक
3	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अन्तिम रुप से लॉक किये गये डाटा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा	20.08.2024, 21.0802024,

	किया जाना, सरप्लस शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना	22.08.2024
4	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समिति के माध्यम से आपत्ति का निस्तारण किया जाना	23.08.2024 से 24.08.2024 तक
5	समिति द्वारा आप्पतियों के निस्तारण के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर विवरण/डाटा अद्यतन किया जाना।	26.08.2024 से 27.08.2024 तक
6	अद्यतन डाटा, मानव सम्पदा टीम द्वारा परिषद के माध्यम से एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराया जाना	28.08.2024 से 29.08.2024 तक
7	आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाना	30.08.2024 से 02.09.2024 तक
8	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाना	03.09.2024
9	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से प्राप्त विकल्प के आधार पर समायोजन की सूची जारी किया जाना	04.09.2024 से 07.09.2024 तक
10	शेष बचे सरप्लस शिक्षकों को सेवावधि के आधार पर आरोही कम में तथा शेष बचे अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय को छात्र संख्या के आधार पर, छात्र संख्या बराबर होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही कम में सूचीबद्ध किया जाना	08.09.2024 से 10.09.2024 तक
11	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शासनादेश दिनांक 26.06.2024 अनुपालन में शेष बचे सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की सूची जारी किया जाना	11.09.2024
12	उक्त प्रकिया के अन्तर्गत समायोजित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को समायोजन की कार्यवाही के उपरान्त अवकाश दिवस में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्यवाही में किसी भी दशा में छात्रों का शैक्षिक हित प्रभावित न हो।	

तत्पश्चात शासनादेश दिनांक 01.08.2024 के प्रस्तर–02(05) में दी गयी व्यवस्थानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के सम्बन्ध में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में पृथक से निर्देश प्रेषित किये जायेंगे।

(5)– शासनादेश दिनांक 26.06.2024 एवं शासनादेश संख्या–68–5099/139/2023–अनुभाग–5 (बेसिक शिक्षा)I/707988/2024, बेसिक शिक्षा अनुभाग–5, दिनांक 01.08.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन कार्यवाही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण पारदर्शी रुप से सम्पादित की जायेगी।

कृपया तद्नुसार समयबद्ध रुप से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
सचिव,
उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

पृ0सं0/बे0शि0प0/ 8412–8496 **/2024–25, दिनांक–उक्तवत्।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः–

1– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3– शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
4– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
9– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश।

12.8.24

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
सचिव,
उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।